प्रेस नोट **02/08/2024**

थाना मधुबन क्षेत्रान्तर्गत अवैध वसूली करते समय एक शातिर गिरफ्तार कब्जे से वसूली के 4170 रुपये बरामद—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मधुबन पुलिस द्वारा दिनांक 02.08.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मधुबन बस स्टैंड के पास से दबिश देकर वसूली कर रहे एक व्यक्ति उमेश त्रिपाठी पुत्र रामनगीना निवासी तिनहरी थाना मधुबन मऊ को पकड़कर उसके कब्जे से अवैध वसूली के 04 हजार 170 रुपये बरामद किया गया। इस दौरान दो लोग क्रमशः दीपक पाण्डेय पुत्र भगवत निवासी दोषपुर जजौली थाना मधुबन व अजय पाण्डेय पुत्र कन्हैया निवासी परशुरामपुर थाना मधुबन मऊ मौके से फरार होने में कामयाब रहे। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 216/24 धारा 308(5) बी0एन0एस0 पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त—

1. उमेश त्रिपाठी पुत्र रामनगीना निवासी तिनहरी थाना मधुबन मऊ।

फरार अभियुक्त—

1. दीपक पाण्डेय पुत्र भगवत निवासी दोषपुर जजौली थाना मधुबन मऊ।
2. अजय पाण्डेय पुत्र कन्हैया निवासी परशुरामपुर थाना मधुबन मऊ।

बरामदगी—

1. अवैध वसूली के 04 हजार 170 रुपये नगद।

दो वांछित तथा एक वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनाकं 02.08.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर रेलवे क्रासिंग करहा रोड़ के पास से मु0अ0सं0 211/24 धारा 3(5),115(2),110,131,351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्ता कुसुम पत्नी स्व0 शंकर निवासी मालो पिटोखट थाना मुहम्मदाबाद, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 248/24 धारा 376,452,386,506 भादवि में वांछित अभियुक्त किशन शर्मा पुत्र स्व0 लल्लन शर्मा निवासी कतुवापार थाना कोतवाली नगर तथा कोतवाली पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त सोनू गुप्ता पुत्र रामानन्द गुप्ता निवासी नई बस्ती फातिमा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

साइबर क्राइम टीम ने साइबर अपराध व सोशल मीडिया के दुष्परिणाम को लेकर महिलाओं/छात्राओं को किया गया जागरूक-

आज दिनांक 02.08.2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री के नेतृत्व में “साइबर जागरूकता कार्यक्रम अभियान” के तहत जनपदीय थाना साइबर क्राइम की टीम ने दोहरीघाट के पार्वती महिला पीजी कॉलेज जनपद मऊ में छात्राओं को साइबर अपराध और सोशल मीडिया के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करते हुए साइबर क्राइम थाना प्रभारी मऊ, योगेंश ने बताया कि वर्तमान समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिसके साथ साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने छात्राओं को इंटरनेट सुरक्षा के महत्वपूर्ण टिप्स दिए और बताया कि किस प्रकार साइबर अपराधों से बचा जा सकता है। साथ ही, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचने की सलाह दी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए प्रेरित किया। वही शैलेंद्र कन्नौजिया ने जानकारी देते हुए कहाकि व्हाट्सएप पर आये किसी अनजान लिंक या अन्य किसी मैसेज के लिंक को खोलने से बचें और केवल प्ले स्टोर से ही किसी ऐप को डाउनलोड करें जो यह सुनिश्चित करता है कि आप किसी संदिग्ध या हानिकारक लिंक पर क्लिक करके साइबर अपराधियों का शिकार नहीं बनेंगे और केवल विश्वसनीय स्रोतों से सुरक्षित ऐप्स का उपयोग करेंगे।

थानाध्यक्ष संजय सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी अनजान व्यक्ति को अपना फोटो साझा न करें। ऐसा करने से आपकी गोपनीयता और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। साइबर अपराधी आपके फोटो का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए हमेशा सतर्क रहें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी और तस्वीरें केवल भरोसेमंद लोगों के साथ ही साझा करें। साइबर क्राइम थाना मऊ के आरक्षी अनूप यादव ने बताया कि www.cybercrime.gov.in पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जागरूकता ही बचाव है। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने और चैट करते समय प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखें। सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के लिए सतर्क रहना और सही कदम उठाना आवश्यक है। इस दौरान डॉ रंजना द्विवेदी, डॉ विपिन बिहारी द्विवेदी, डॉ सुनील त्रिपाठी,अनिरुद्धधर द्विवेदी,प्रवीणा राय,प्रीति शाही समेत आदि लोग उपस्थित रहे।

यातायात जागरुकता अभियान के क्रम में 18 वर्ष के कम उम्र के छात्र/छात्राओं द्वारा दो पहिया एवं चारपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने एवं नाबालिग बच्चों को वाहन देने वाले स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी यातायात के नेतृत्व में आज दिनांक 02.08.2024 को यातायात प्रभारी के नेतृत्व में जागरुकता अभियान चलाया गया जिसमें तालीमुद्दीन इंटर कालेज बड़ी कमहरिया मऊ के नाबालिग छात्र/छात्राओं को वाहन न चलाने के बारे जागरुक किया गया तथा यातायात/सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गयी। साथ ही साथ चेकिंग के दौरान नाबालिग द्वारा वाहन चलाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गयी तथा उनके अभिभावकों से जरिये मोबाइल वार्ता कर हिदायत दी गयी एवं स्कूली वैन/बसों की फिटनेस/परमिट इत्यादि के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।